न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 115/2024

1. बलवीरसिंह उर्फ दलवीरसिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जगप्रीतसिंह पुत्र बलवीरसिंह उर्फ दलवीरसिंह जाति जटसिख साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थीगण

—:बनाम:—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट व 88 रा.का.अधिनयम::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 02-09-24

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 36 एलआरएक्ट व 88 रा.का.अधिनियम अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थन पत्र बाबत् राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में प्रार्थी सं. 1 का नाम बलवीरसिंह उर्फ दलवीरसिंह व प्रार्थी स. 2 के पिता का नाम बलवीरसिंह उर्फ दलवीरसिंह की घोषणा बाबत् एवं नाम सही अकंन करने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की और से निम्न प्रकार से है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी का पंजीकृत व प्रमाणित पता सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है। प्रार्थी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 एसजीआर (बी) के खाता स. 97/38 के प.न. 9/303 (12) के किला नं. 15/7/0.0825, 15/8/0.0125, 15/9/0.0125, 16, 25 की 0. 6135 हैक्ट. व इसी तहसील के चक 15 एलजीडब्ल्यु (बी) के खाता सं. 45/38 के प.नं. 1/301 (36) के किला नं. 4/2 ता 15/2, 20/2, प.नं. 3/295 (12) के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20 की 6.9900 हैक. व इसी चक के खाता स. 44/68 के प.न. 2/294 (6) के किला न. 14, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 की 1.265 हैक. इस प्रकार दोनो चकों की कुल तादादी 8.8685 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। जिसमें प्रार्थी स.1 का नाम दलवीरसिंह दर्ज है।

प्रार्थी स. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 एसजीआर (बी) के खाता स. 31/23 के प.न. 10/304 (14) के किला न. 1 ता [illegible] की कुल तादादी 6.3250 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। जिसमें प्रार्थी स[illegible] का नाम बलवीरसिंह दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.04 15:18:48 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की दफा 2 व 3 में [illegible] प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता का नाम दलवीरसिंह व बलवीरसिंह [illegible] सं. 1 का सही नाम [illegible] उर्फ दलवीरसिंह है। प्रार्थी सं. 1 के समस्त दस्तावेज में [illegible]र्थी सं. 1 का नाम बल[illegible] व दलवीरसिंह दर्ज है। प्रार्थी सं. 1 के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी सं. 1 का नाम बलवीरसिंह व दलवीरसिंह अकिंत हो गया तथा प्रार्थी सं. 2 दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी सं. 2 के पिता का सही नाम बलवीरसिंह व दलवीरसिंह अंकित है जो सही व सत्य है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी सं. 1 का नाम दलवीरसिंह वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि व प्रार्थी सं. 2 नाम वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी सं. 2 के पिता का नाम बलवीरसिंह दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को केसीसी ऋण लेने, कृषि भूमि में टयुबवैल पर विद्युत कनैक्शन लेने आदि अन्य सुविधाएं लेने में काफी परेशानी होती है। इसलिये प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता का अपना नाम बलवीरसिंह व दलवीरसिंह के स्थान पर बलवीरसिंह उर्फ दलवीरसिंह दर्ज करवाने की हकदार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को वाद पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में नाम संशोधन करवाने घोषणा करने को कहा तो वे कई दिन टालमटोल करता रहा लेकिन आज से तीन दिन पूर्व ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गया, यही वाद कारण है।

अप्रार्थी जो कि भू–धारक है तथा उक्त रिकार्ड की दुरूस्ती अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाये कि

क. घोषणा फरमाई जावे कि प्रार्थी स. 1 व प्रार्थी स.2 के पिता का नाम वाद पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि को वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अकंन करवाने एवं खातेदार घोषणा पाने के अधिकारी है।

ख. कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

ग. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय दिलाया जाना उचित समझे दिलाया जावे।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजावने हेतु निर्देशित किया जिसकी पालना में रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा पत्रांक 1693 दिनांक 27.08.24 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 1 एस.जी.आर.–बी के प.नं. 9/303 (12) में 0.6135 हैक्ट., भूमि चक 1 एस.जी.आर. – ए में प.नं. 2/294 (6) की 1.265 हैक्ट. भूमि, प.नं. 1/301 (36) व 3/295 (12) की कुल 6.990 हैक्ट. भूमि दलवीरसिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख साकिन खरलिया के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी के दोनो नाम बलवीर सिंह सिधू/दलवीर सिंह सिधू पुत्र अनोख सिंह है। मुताबिक पटवारी हल्का दैनिक डायरी रिपोर्ट दिनांक 23.08.2024 की रिपोर्ट जिसमें उपस्थित मौतविरान द्वारा बताया गया कि बलवीरसिंह सिधू/दलवीर सिंह सिधू पुत्र अनोख सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः बलवीरसिंह सिंधू उर्फ दलवीर सिंह सिधू पुत्र अनोख सिंह किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली अवलोकन व संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन व तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 136 एलआरएक्ट के तहत नाम संशोधन की घोषणा करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार किया निम्नानुसार घोषणा की जाती है:–

1. तहसील पीलीबंगा के चक 1 एसजीआर (बी) के खाता स. 97/38 के प.न. 9/303 (12) 0.6135 हैक्ट. व इसी तहसील के चक 15 [illegible] के खाता सं. 45/38 के प.नं. 1/301 (36) की 6.9900 हैक्ट. व इसी चक के [illegible] स. [illegible]/68 के प.नं. 2/294 (6) 1. 265 हैक्ट. इस प्रकार दोनो चको की कुल [illegible] हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड में [illegible] सिधू उर्फ दलवीर सिंह सिधू पुत्र अनोख सिंह किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.04 15:18:48 IST
Reason: Self Attested

2. तहसील पीलीबंगा चक 1 एसजीआर (बी) के खाता स. 31/23 के प.न. 10/304 (14) के किला नं. 1 ता 25 की कुल तादादी 6.3250 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 2 के पिता नाम बलवीर सिंह सिधू उर्फ दलवीर सिंह सिधू पुत्र अनोख सिंह किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। निर्णय सरे इजलास सूनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.04 15:18:48 IST
Reason: SelfAttested